

५

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-65/2019-20

United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch

बनाम्

M/s JAGDAMBA TRADERS

-: आदेश :-

09.10.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Bokaro द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के अन्तर्गत विपक्षी 1. M/s Jagdamba Traders प्रो० श्रीमति कविता सिंह पति श्री धनंजय कुमार सिंह, आवास सं०-4, सिंह भवन मेन रोड, चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। विपक्षी के द्वारा नोटिस पढ़कर लेने से इनकार कर दिया गया।

प्रथम पक्ष United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Bokaro की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Equitable Mortgage /Registered Mortgage of Land/Building bearing Deed No. 11913 dated 20.11.2011, Mouza Kandra, Chas Khata No.-56, Plot No.-5083/5259(Parts), Thana Pindrajora, Area-75 decimals and Mouza Kandra Khata No. 57, Plot No. 5083/5179/4979/5250, 5086 (Parts) Area-20 decimals in the name of Smt. Kanchan Devi w/o Arjun Kumar Singh.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 47,90,000.00 (सैंतालिस लाख नब्बे हजार) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा नोटिस पढ़कर लेने से इनकार कर दिया गया और सुनवाई के दौरान भी पुकार पर लगातार अनुपस्थित रहे हैं। उनके द्वारा अब तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण-पृच्छा भी दाखिल



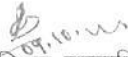
नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न ही उन्हें अपने बचाव में कुछ भी कहना है।

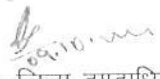
प्रथम पक्ष की दलील एवं अभिलेख में संघारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का अनुपस्थित रहना, नोटिस पढ़कर लेने से इनकार करना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत राम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था सधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।